

प्रेषक,

छाया नैन
अपर जिला जज/ अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-01, देवरिया

प्रेषित,

श्रीमान् महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद

द्वारा- श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, देवरिया।

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के संबंध में

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित-28 जून 2024 एवं संख्या-20/2024 सा-3-276/दस 2024/301(1)/2024 दिनांकित-11 जुलाई 2024 के संबंध में मेरी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व रोजगार समाचार दिनांक 22-28 नवम्बर 2003 में विज्ञापन संख्या ए-2/ई-1/2003 को विज्ञापित/आधेसूचित होकर दिनांक-01.04.2005 को अर्थात् उसके पश्चात उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी.-1 लखनऊ दिनांकित-26 मई 2006 को नियुक्त होकर दिनांक-15 जून 2006 को कार्यभार ग्रहण करके कार्यरत हूँ।


उपरोक्त उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक के परिप्रेक्ष्य में मेरी नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना की समयावधि में समाहित है। जिस कारण मैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को चुनता हूँ।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के जी.ओ.20/2024 सा-3-276/दस 2024/301(1)/2024 दिनांकित-11 जुलाई 2024 द्वारा उपलब्ध प्रारूप/विकल्प पत्र-वांछित सूचनाएँ माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 9691/IV-F 82(Pension)/Admin.(A) दिनांकित-16 जुलाई 2024 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 11718/IV-F 82(Pension)/Admin.(A) दिनांकित-31 अगस्त 2024 के अनुपालनार्थ कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति पश्चात् भेजा जा रहा है, स्वीकार कर मेरी नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना में समाहित करने की कृपा करें।

सादर !

दिनांक-04.09.2024

भवदीय,


(छाया नैन)

अपर जिला जज/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-01, देवरिया

J.O.CODE-UP 6280

संलग्नक-

उत्तर प्रदेश शासन के जी.ओ.20/2024 सा-3-276
/दस 2024/301(1)/2024 दिनांकित 11 जुलाई 2024
द्वारा उपलब्ध प्रारूप/विकल्प पत्र-वांछित सूचनाएँ

जनपद न्यायाधीश देवरिया
दिनांक 04.09.2024
1742/8U अपर सत्र न्यायाधीश
देवरिया
04.09.2024

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का
संलग्नक-

विकल्प पत्र

- नाम दाया नैन
- वर्तमान पदनाम अपर जिला स्व सत्र न्यायाधीश, सिविल कोर्ट देवरिया
- वेतनमान 194660
- वर्तमान विभाग का नाम न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, 3050
- राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
- विज्ञप्ति की तिथि 15.11.2003, विज्ञापन सं. स-2/ई-1/2003, रोजगार समाचार 22-28 नवम्बर 2003
- विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 26.5.2006, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4
- योगदान की तिथि संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी सी-1 (नखनऊ)
- जन्म तिथि 15.06.2006
- जन्म तिथि 18.11.1977
- सेवानिवृत्ति की तिथि 30.11.2037

में दाया नैन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री विकास कुमार

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर Mhaya Nain
नाम दाया नैन
पदनाम अपर जिला स्व सत्र न्यायाधीश
सिविल कोर्ट देवरिया
706006-UP6280

घोषणा पत्र

में दाया नैन पदनाम अपर जिला स्व सत्र न्यायाधीश घोषणा

करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर Mhaya Nain
नाम दाया नैन
पदनाम अपर जिला स्व सत्र न्यायाधीश
सिविल कोर्ट देवरिया
706006-UP6280

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा 706006-UP6280

श्री/श्रीमती दाया नैन पदनाम अपर जिला स्व सत्र न्यायाधीश को उपरोक्त

तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) /नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

04/07/2024
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

न्यायाधीश
देवरिया

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।